"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 622] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2014— अग्रहायण 19, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ -1-19/2007/सात-3 (पार्ट-3). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (लिपिकीय तथा अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

अनुसूची-एक के शीर्षक "(1) तृतीय श्रेणी अराजपत्रित लिपिकीय" के सरल क्रमांक 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5 (1) सहायक अधीक्षक, विभागाध्यक्ष कार्यालय	2	-तदैव-	5000-8000	9300-34800	4200
(2) सहायक अधीक्षक, मैदानी कार्यालय	2	-तदैव-	4500-7000	5200-20200	2800"

No. F-1-19/2007/ seven-3 (part-3).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Land Record Class-III Non-Gazetted (Ministerial and Non-Ministerial) Service, Recruitment Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For serial number 5 of Heading "(1) Class Three Non-Gazetted Clerical" of Schedule-I, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"5. (1) Assistant Superintendent Office of the HOD	2	-do-	5000-8000	9300-34800	4200
(2) Assistant Superintendent Field Office	2	-do-	4500-7000	5200-20200	2800"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकांत उइके, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.